

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क.9/नर्सिंग/सेल-3/13/788

भोपाल दिनांक 5/8/2013

आदेश

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण वर्ष 2013 में विभागीय उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर आई.एन.सी. दिल्ली द्वारा अनुमति प्राप्त संस्था शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन में 2 वर्ष के पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु निम्नालिखित कर्मचारियों का चयन किया जाता है :-

क्र.	प्रशिक्षणार्थी के नाम	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापना स्थल	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली संस्था का नाम
सामान्य वर्ग				
1	श्रीमति कंचन पाठक	सामान्य	कुशाभाउ ठाकरे जिला चिकि. विछिया रीवा	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
2	श्रीमति दुलारी जैन	सामान्य	सामु.स्वा.केंद्र अमरपाटन	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
3	श्रीमति जोई जौन	सामान्य	जिला चिकि. झाबुआ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
4	कु. प्रमीला भल्ला	सामान्य	जिला चिकि. विदिशा	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
5	कु. जेकलीन सेमुअल	सामान्य	जिला चिकि. धार	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
6	श्रीमति सुरेया पठान	सामान्य	जिला चिकि. झाबुआ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
7	श्रीमति माधुरी पाठक	सामान्य	सिविल अस्प. बैरागढ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
8	श्रीमती कृष्णा पाल	सामान्य	जिला चिकि. उज्जैन	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
9	श्रीमति रेखा सोनी	सामान्य	पी.एच.सी. दीपाखेडा सीतामठ जिला मंदसौर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
10	श्रीमति विधावती श्रीवास्तव	सामान्य	सिविल अस्प. रामनगर जिला सतना	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
11	श्रीमति मिथिलेशलता	सामान्य	जिला चिकि. बालाघाट	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
12	श्रीमति विमला कुश्वाहा	सामान्य	क्षय चिकि. नौगांव जिला छतरपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
13	श्रीमति सपना खरे	सामान्य	महिला स्वा.कार्य.प्रशि.केंद्र जिला छतरपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
14	श्रीमति लीना एलेक्स	सामान्य	जिला चिकि. बडवानी	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
15	श्रीमति अनुराधा मिश्रा	सामान्य	जिला चिकि. विछिया जिला रीवा	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
16	श्रीमति सीमा डेविड	सामान्य	जिला चिकि. बुरहानपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
17	श्रीमति किरण भदरगे	सामान्य	सिविल अस्प. बैरागढ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
18	श्रीमति रंजना साहू	सामान्य	सामु.स्वा.केंद्र श्यामपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
19	श्रीमति किरण यादव	सामान्य	प्राथ.स्वा.केंद्र रामपुरकलौं सवलगढ जिला मुरैना	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
20	श्रीमति मंजू देशमुख	सामान्य	जिला चिकि. देवास	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
21	श्रीमति अरुणा मिश्रा	सामान्य	सेठ गो. दास जि.चिकि जबलपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
22	श्रीमति कीर्ति तिवारी	सामान्य	पी.एच.सी. सिहाडा जिला खंडवा	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
23	श्रीमति वंदना वर्मा	सामान्य	क्षय चिकि. नौगांव जिला छतरपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
24	श्रीमति मिरोज सिंह	सामान्य	नेत्रचलित ईकाई जिला छतरपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर

25	श्रीमति ज्योति वर्मा	सामान्य	सामु.स्वा.केंद्र सीतामउ जिला मंदसौर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
26	श्रीमति माया सरड	सामान्य	सामु.स्वा.केंद्र नलखेडा जिला शाजापुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
27	श्रीमति अनिता वर्मा	सामान्य	सामु. स्वा.केंद्र जीरापुर जिला राजगढ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
28	श्रीमति कुसुमलता देवांगन	सामान्य	सामु. स्वा.केंद्र जीरापुर जिला राजगढ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
29	श्रीमति सविता सोनी	सामान्य	सामु.स्वा.केंद्र पाटन जिला जबलपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
30	श्रीमति सांत्वना बाकडे	सामान्य	जिला चिकि. विछिया जिला रीवा	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
31	कु. दीपिका टीले	सामान्य	जिला चिकि. सीहोर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
32	श्रीमति मेरी अब्राहम	सामान्य	जिला चिकि. बडवानी	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
अनुसूचित जाति				
1	श्रीमति बीना बाथम	अ.जा.	सिविल अस्प. बैरागढ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
2	श्रीमति विजयलक्ष्मी रंगारे	अ.जा.	जिला चिकि. बालाघाट	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
3	श्रीमति खेम आर्य	अ.जा.	जिला चिकि. मुरार जिला ग्वालियर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
4	श्रीमति संजूलता कामडे	अ.जा.	जिला चिकि. बालाघाट	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
5	कु. शीलंगना बोदले	अ.जा.	सामु.स्वा.केंद्र कोलार	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
6	कु. अरुणा झारिया	अ.जा.	जिला चिकि. मंडला	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
7	कु. जयंती मेहरा	अ.जा.	जय प्रकाश चिकि. भोपाल।	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
8	श्रीमति उमा कामरे	अ.जा.	सामु. स्वा.केंद्र जीरापुर जिला राजगढ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
अनुसूचित जनजाति				
1	श्रीमति मनोरमा खॉन	अ.ज.जा.	क्षय चिकि. नौगांव जिला छतरपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
2	श्रीमति सुनीता बारके	अ.ज.जा.	श्रीभगतसिंह जिला अस्प. बालाघाट	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
3	श्रीमति सरस्वती मरठे	अ.ज.जा.	जिला चिकि. बालाघाट	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
4	श्रीमति नलिनी सोनटके	अ.ज.जा.	शास. कुशाभाउ ठाकरे जिला चिकि. शहडोल	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
5	श्रीमति प्रतिभा सोनाथी	अ.ज.जा.	जिला चिकि. धार	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
6	कु. पूनम सिंह	अ.ज.जा.	जिला चिकि. झाबुआ	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
7	श्रीमति रूकमणी मौर्य	अ.ज.जा.	सामु.स्वा.केंद्र तिरला जिला धार	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन
8	कु. बसंती मार्को	अ.ज.जा.	प्राथ.स्वा.केंद्र घाटा जिला अनूपपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
9	श्रीमति सरोजनी मार्को	अ.ज.जा.	सेठ गो. दास जि.चिकि जबलपुर	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर
10	कु. अनुपमा क्षत्रीय	अ.ज.जा.	प्राथ.स्वा.केंद्र उकवा जिला बालाघाट	बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर

नोट :- उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों पर बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु पात्रता होगी :-

1. चयनित उम्मीदवार जिनके रजिस्ट्रेशन वेलिड नहीं है, का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने के पश्चात् ही उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

2. उम्मीदवार दिनांक 22/8/2013 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संबंधित संस्था को देंगे यदि उपरोक्त तिथि में उपस्थिति नहीं दी जाती है तो उनका चयन स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. जिन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश की पात्रता है, उन्हें ही नियमानुसार 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। यदि किसी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश की पात्रता न हो तो शीघ्र उपसंचालक (नर्सिंग) को अवगत करायें।
4. चयनित उम्मीदवार यदि प्रशिक्षण अवधि में किसी कारणवश प्रशिक्षण बीच में छोड़ देता है तो उसको आगामी पांच वर्ष तक प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। संबंधित कार्यालय द्वारा कर्मचारी की सेवा पुरस्तिका में प्रशिक्षण के लिये भेजने की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कर ली जावे।
5. चयनित उम्मीदवार को नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के समय न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
6. प्रशिक्षण में प्रथम बार उपस्थिति होने एवं प्रशिक्षण से कार्यमुक्त होने पर केवल एक बार ही यात्रा भत्ता दिया जावेगा। इसके अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
7. चयन किये जाने पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने के पूर्व प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के उपरान्त 7 वर्ष की शासकीय सेवा करने का अनुबंध भरना होगा। उन्हें मध्यप्रदेश शासन की किसी भी संस्था में शासन की आवश्यकतानुसार अपनी सेवा देना अनिवार्य है।
8. प्रशिक्षण में प्रवेश पश्चात् किसी भी कारणवश प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय/प्रशिक्षणार्थी से वसूल की जावेगी एवं उन्हें 2 वर्ष तक उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
9. अध्ययन अवकाश पात्रतानुसार स्वीकृत किया जावेगा। कार्यमुक्त करने पर अध्ययन अवकाश फार्म पात्रतानुसार अनुशासना सहित संचालनालय को प्रेषित करें। उम्मीदवारों को प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त हाजिरी पत्रक के अनुसार ही मूल पदस्थापना स्थान से प्रतिमाह वेतन भुगतान होगा। प्रशिक्षण में जो व्यवहारिक (प्रेक्टिकल) अवधि कम होगी वह बाद में अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि में कोई भी अवकाश देय नहीं होगा। प्रशिक्षण अवधि में भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

ok
संचालक 21/8/13
चिकित्सा सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्र.9/नर्सिंग/सेल-3/13/789


भोपाल दिनांक 5/8/2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त मध्य प्रदेश।
3. समस्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त संयुक्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों की सेवा पुरस्तिका में अंकित जाति का सत्यापन कर तत्काल प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें। यदि किसी कर्मचारी की जाति सेवा पुरस्तिका में अंकित न हो या भिन्नता हो तो अवगत करायें। अध्ययन अवकाश पात्रता भी सेवापुरस्तिका से परीक्षण कर अवगत करायें। कार्यमुक्त करने से पूर्व अनुबंध पत्र भी प्राप्त करें।

7. प्राचार्य बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन की ओर प्रेषित कर लेख हे कि उपस्थित कर्मचारी के नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन तथा समस्त मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति देखें। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होते हैं। तो उन अनुपस्थित उम्मीदवारों की जानकारी दिनांक 23.8.2013 तक उपसंचालक (नर्सिंग) को पत्र वाहक या फ़ैक्स द्वारा भेजें ताकि प्रतिका सूची में से उम्मीदवारों के आदेश जारी किये जा सकें संबंधित उम्मीदवारों से नियमानुसार दी गई शर्तों के साथ ही उपस्थित करावें।
8. रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल गोवन्तिका परिसर, बारह दफतर, जवाहर चौक भोपाल म.प्र.।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर भेजकर लेख हे कि दिनांक 22.8.2013 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संबंधित कालेज को दें।
10. आदेश नस्ति।

010


संचालक
चिकित्सा सेवाएँ
मध्यप्रदेश